A90/

<u>वित्तीय स्वीकृति / आयोजनेत्तर</u>
<u>संख्या: / XVII-3/14-09(22)/2013</u>

प्रेषक

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज (सैनिक) कल्याण अनुभाग–3

देहरादून : दिनांक 25 मार्च, 2014

<u>विषय</u>:–वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में सैनिक कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या–15 के आयोजनेत्तर पक्ष की मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अपने पत्र संख्या–2002 / बजट / सै0क0 / (3) पु0 प्रस्ताव / 2013–14 दिनांक 06 जनवरी, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में सैनिक कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या–15 की आयोजनेत्तर (नान प्लान) मद में लेखाशीर्षक 2235–60–200–03–महगाई भत्ता के नामे में बचनबद्ध मदों में कम पड़ रही धनराशि तथा बचत हो रही धनराशि को संलग्न के अनुसार व्ययावर्तन कर के **रू0 2,75,000.00 (रू0 दो लाख पिचहत्तर इजार मात्र)** की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश में प्राविधानित एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या:–295 / XXVII(1) / 2013 दिनांक 1 अप्रैल, 2013 में उल्लिखित **समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
2. उक्त मद में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
3. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये **जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।**
4. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
5. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
6. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य / लघु / उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 तथा आयोजनेत्तर शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

क्रमश:.........2 / ....

7. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
8. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
9. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय–सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
11. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
12. बी0एम0–08 पर संकलित मासिक सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य –सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–200–अन्य कार्यक्रम 03–सैनिक कल्याण के नामे डाला जायेगा।
14. यह आवंटन अनुदान संख्या–15 के अलोटमेंट आई डी0 संख्याः–R1403150268, दिनांक–13 मार्च, 2014 एवं वित्त विभाग के अशा0पत्र संख्या–343/XVII(I)/14, दिनांक 25 मार्च, 2014 द्वारा जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 137 /XVII-3/14-09(22)/2013 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
5. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(जी0एस0 भाकुनी)
अनु सचिव।